रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 1971/माघ 20, 1892

No. 112] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 1971/MAGHA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February 1971

S.O. 680.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby designates, in respect of every parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh, all the Returning Officers and the Assistant Returning Officers for all the assembly constituencies comprised within that parliamentary constituency, as officers to assist the Returning Officer of that parliamentary constituency in the performance of his duties.

[No. 434/UP/71(1).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी 1971

एस० ओ० 680.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य में के हर एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट सभी सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी रिटर्निंग आफिसरों और सहायक रिटर्निंग आफिसरों की, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए अधिकारियों के रूप में नियुक्ति करता है ।

[सं० 434/उ० प्र०/71 (1).]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971